

293



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

AGT- 3350-F-16

1- रामदयाल तनय भैयालाल तिवारी ,

2- र.महांकर तनय सुखलाल ब्राम्हण,

निवासी खरगापुर, तह0 खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....आवेदकगण

वनाम

1- सुल्तान त0 शेख मुहम्मद खान,

2- गोकल तनय भैयालाल तिवारी ,

निवासी तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़,

3- म0प्र शासन द्वारा तहसीलदार खरगापुर .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :-

आवेदक की ओर से निवेदन है -

1- यह कि आवेदकगण , यह निगरानी श्रीमान राजस्व निरीक्षक खरगापुर, तह0 खरगापुर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 41/अ-12/2013-14 में स्वीकृत आलोच्य सीमांकन दिनांक 24/06/2014 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत कर रहे है तथा माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खरगापुर स्थित भूमि खसरा नं 2274 रकवा 1.028 है0 उत्तरवादी के स्वामित्व की भूमि है, जिसकी पश्चिमी सीमा पर से खरगापुर से देवपुरा जाने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड निर्माण हो चुका होता है, जिस

Handwritten text in a box, including 'श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग' and a signature.

87  
26/09/16

जेन्द्र पट्टेरिया (एड.)  
रूम नं. 1 सिविल कोर्ट टावर  
-142, मनोरमा कॉलोनी, सागर  
मो.- 9425451002

Handwritten signature and date 27/12

Handwritten signature and date 27/12

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-3350-एक/2016

जिला-टीकमगढ़

रामदयाल तिवारी व अन्य विरुद्ध सुल्तान खान आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08-03-2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</li><li>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</li><li>3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक खरगापुर, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 41/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24-06-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</li><li>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</li><li>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</li></ol>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>28/3/19</p>